राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी — साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
65/16	29.03.2016	30.08.2018

अनुवान

1. थावरमल पुत्र गणपत
2. शांति पत्नी अमरसिंह
3. नरेश
4. राजकुमार पुत्रान अमरसिंह जातियान चमार निवासीयान धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— प्रतिवादी

2. कमला
3. संतोष
4. उगन्ता पुत्रीयान अमरसिंह
5. बबली पुत्री अमरसिंह जाति चमार निवासीयान धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर—फौत

5/1 रेखा पुत्री बबली जाति चमार निवासी आमोठ तहसील मुण्डावर

6. रेशम
7. जावत्री
8. चमेली पुत्रीयान गणपत जातियान चमार निवासी धोकलनगर तहसील मुण्डावर

:—तर0 प्रतिवादीगण

दावा— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
राज0काश्त0अधि0 1955

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

उपस्थिति :

1. श्री अशोक चौधरी प्रथम वकील–वादीगण

–:: निर्णय::–

दिनांकः– 30.08.2018

आज यह वाद पत्र पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। सुना गया। वादीगण के वादपत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 143/1.00 है0 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर मे स्थित होकर साबिक ख0न0 39 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व 40 रकबा 15 बिस्वा से निमूद किया गया। उक्त विवादित आराजी पर मिनवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का पूर्वज संवत् 2017 से बतौर सिकमी काश्तकार काबिज होकर काश्त करते थे उनके फौत होने के बाद से मिनवादीगण व तर0 प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। संवत् 2021 लगायत 21 के खेवट संख्या 1 के खतौनी संख्या 3 के राजस्व रिकार्ड में उदमी पुत्र झूथा जाट सा0दे0 मालिक वग़0 गणपत पुत्र छाजू हरिजन सिकमी काश्तकार साल 5 दर्ज है। सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक ख0नम्बरान से हाल ख0न0 बनाते समय मिनवादीगण के पूर्वज गणपत को सिकमी काश्तकार को हजफ कर गैर खातेदार खिलाफ मौका खिलाफ कानून दर्ज कर दिया जबकि सोडावास ग्राम कस्टोडियन का गांव नहीं रहा है तथा ना ही आराजी कस्टोडियन है। इसलिए मिनवादीगण को विवादित आराजी पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। जिसे मिनवादीगण दुरूस्त कराकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है का निवेदन करते हुए वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस प्रकार पारित की जावे कि हाल आराजी ख0न0 143/1.00 है0 वाके ग्राम सोडावास का मिनवादी संख्या 1 को 1/5 भाग, वादी संख्या 2 लगायत 4 व तरतीबी प्रतिवादी 2 लगायत 5 को 1/5 संभाग व तरतीबी प्रतिवादी 6 लगायत 8 प्रत्येक को 1/5, 1/5, 1/5 भाग का संवत् 2017 से ता हाल काबिज रहने के कारण बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर खातेदारी का अंकन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदारी के इन्द्राज को हजफ किया जावे का निवेदन रहा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 जवाब सरकार पेश होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक जवाब पैराकार सरकार जिमनवार वादी स्वयं सिद्ध करें अंकित करते हुए जमाबंदी संवत 2021–24 वाके ग्राम सोडावास में ख0न0 39 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा में उदमी पुत्र झूथा जाट सा0दे0 मालिक कश0 गणपत पुत्र छाजूराम हरिजन साकिन छापुर सिकमी काश्तकार साल 5 दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 40 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, चन्दरया पुत्र नोन्दा अहीर साकिन छापुर खातेदार दर्ज है। दावा गणपत के वारिसान ने किया है अंकित करते हुए शिकमी जमाबंदी संवत 2021–24 में साबिक ख0न0 39 में ही है। ख0न0 40 में नहीं है। जबकि हाल ख0न0 143 साबिक ख0न0 39 व 40 से बना है एवं जमाबंदी बंदोबस्त 2029 में ख0न0 143 रकबा 1.00 है0 गणपत पुत्र छाजूराम जाति चमार साकिन छापुर गैर खातेदार दर्ज है अंकित करते हुए जवाब पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में रिकार्डेड साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सेटलमेंट प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी 2021–24 किता 2 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2014–17 प्रदर्श–5, नकल गिरदावरी संवत 2022–2025 प्रदर्श–6, नकल गिरदावरी सवंत 2026–2029 प्रदर्श–7, नकल गिरदावरी संवत 2018–21 प्रदर्श–8 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पथ थावर पीडब्ल्यू–1, रतीराम पीडब्ल्यू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में तनकीयात निम्न प्रकार कायम किये गये:–

1. आया वाद में विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त की गैर खातेदारी है। खातेदारी पाने के अधिकारी है। –वादी
2. आया वाद में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। – वादी
3. आया वाद में विवादित आराजी में वादी खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं है। –प्रतिवादी
4. अन्य दादरसी।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए वकील वादी का कथन रहा कि विवादित आराजी ख0न0 143/1.00 है0 वाके ग्राम सोडावास साबिक ख0न0 39 रकबा 3 बीघां 3 बिस्वा व साबिक ख0न0 40 रकबा 15 बिस्वा से पैमूद हुये है तथा विवादित आराजी पर वादीगण के पूर्वज संवत 2017 से बतौर शिकमी काश्तकार काबिज होकर काश्त करते रहे है। उनकी फौतगी के बाद वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण काबिज काश्त आराजी है। सेटलमेंट के दौरान भू राजस्व कर्मचारियों द्वारा साबिक ख0न0 से हाल ख0न0 बनाते समय मिनवादीगण के पूर्वज गणपत को शिकमी काश्तकार को हजफ कर गैर खातेदार खिलाफ मौका कानून दर्ज कर दिया जबकि सोडावास ग्राम कस्टोडियन का नही रहा है, ना ही विवादित आराजी कस्टोडियन है एवं वादीगण के पूर्वज विवादित आराजी पर संवत 2017 से ता हाल काबिज चले आ रहे है। इसलिए मिनवादीगण को विवादित आराजी पर बाई ऑपरेशन ऑफ़ लॉ के स्वत ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। इसलिएं उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर खातेदारी का अंकन दर्ज किया जावे एवं रिकार्ड में दर्ज गैर खातेदारी के इन्द्राज को हजफ किया जाकर वाद वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन रहा।

तनकी नम्बर 1:– आया वाद में विवादित आराजी मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त की गैर खातेदारी है। खातेदारी पाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे रहा है। वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श 1 लगायत 8 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए विवादित आराजी ख0न0 साबिक ख0न0 39 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा एवं साबिक ख0न0 40 रकबा 15 बिस्वा से बने होने के आधार पर एवं संवत 2017 से वादीगण के पूर्वज बतौर शिकमी काबिज काश्त होने के आधार पर पेश कर हाल विवादित आराजी के बाबत गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किया जाकर खातेदार दर्ज रिकार्ड किये जाने का निवेदन किया है जबकि जवाब पैरोकार अनुसार साबिक ख0न0 39 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा उदमी पुत्र झूथा सा0दे0 मालिक बकाश्त गणपत पुत्र छाजू साल 5 दर्ज रिकार्ड होना तथा साबिक ख0न0 40 का रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

चन्दरया पुत्र नोन्दा अहीर सा0 छापुर खातेदार दर्ज है का अंकन करते हुए वादी स्वयं सिद्ध करें के बाबत का पेश किया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद अनुसार वादीगण ने अपने वाद की ताईद में ख0न0 40 के बाबत का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत 2012 में लागू हो जाने की स्थिति में वादीगण ने संवत 2012 या इससे पूर्व से हाल तक के बाबत का वादपत्र की ताईद में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को बरखिलाफ वादीगण बहकप्रतिवादी असल के पक्ष में साबित पाता है।

तनकी नम्बर 2:– आया वाद में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण के जिम्मे रहा है। जब तनकी संख्या 1 ही स्पष्ट रूप से बरखिलाफ वादीगण साबित हो चुकी है तो यह न्यायालय इस तनकी को भी बरखिलाफ वादीगण बहकप्रतिवादी असल के हक में साबित पाता है।

तनकी नम्बर 3:– आया वाद में विवादित आराजी में वादी खातेदारी पाने के अधिकारी नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी असल रहा है। जब तनकी संख्या 1 व 2 बरखिलाफ वादीगण होकर बहकप्रतिवादी साबित हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को भी बहकप्रतिवादी साबित पाता है।

दादरसी:– उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 लगायत 3 बरखिलाफ वादीगण पाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय वादीगण के वाद को काबिल अस्वीकार पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को सुसंगत दस्तावेजात प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी ख0न0 143 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

30/8/18

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
65/16	29.03.2016	30.08.2018

अनुवान

1. थावरमल पुत्र गणपत
2. शांति पत्नी अमरसिंह
3. नरेश
4. राजकुमार पुत्रान अमरसिंह जातियान चमार निवासीयान धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

:— प्रतिवादी

2. कमला
3. संतोष
4. उगन्ता पुत्रीयान अमरसिंह
5. बबली पुत्री अमरसिंह जाति चमार निवासीयान धोकलनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर—फौत

5/1 रेखा पुत्री बबली जाति चमार निवासी आमोठ तहसील मुण्डावर

6. रेशम
7. जावत्री
8. चमेली पुत्रीयान गणपत जातियान चमार निवासी धोकलनगर तहसील मुण्डावर

:—तर0 प्रतिवादीगण

दावा— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
राज0काश्त0अधि0 1955

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

–::पर्चा डिक्री::–

दिनांक:– 30.08.2018

वादीगण की ओर से **श्री अशोक चौधरी प्रथम** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 30.08.2018 को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

आराजी ख0न0 143 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना--अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

30/8/18

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner